संख्या–सम्ब0 50/सत्तर–6–2011–2(16)/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2011

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–4127/सम्बद्धता/2011, दिनांक 27.05.2011 एवं पत्रांक–4254/सम्बद्धता/2011, दिनांक 15.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. शैक्षिक सत्र 2010–11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011–12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा– निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 50(1)/सत्तर–6–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
5. प्रबन्धक, राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक 5377 / सम्बद्धता / 2011 दिनांक 23 / 12 / 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय– राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 50 / सत्तर–6–2011–2(16) / 2010 दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2010–11 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है। संदर्भित महाविद्यालय परीक्षा सत्र 2010–11 की परीक्षा में नकल में आरोपित नहीं है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित** माननीय कुलपति ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 50 / सत्तर–6–2011–2(16) / 2010 दिनांक 06 जुलाई, 2011 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

कुलसचिव 23/12/11

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
6. समन्वयक, वेबसाइट।

कुलसचिव

57 p-aff-f-ddu